न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र सं0 61/2021
पंजाब नेशनल बैंक शाखा मीना सीमला जिला दौसा

...प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स प्रेम गैस्ट हाउस एण्ड रेस्टोरेन्ट, प्रोपराईटर गंगासहाय मीना
2. श्री गंगासहाय मीना, प्रोपराईटर प्रेम गेस्ट हाउस एण्ड रेस्टोरेन्ट,
पताःएन.एच.21, खेडा पहाडपुर तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान (ऋणी/प्रोपराईटर/जमानतदार)

...अप्रार्थी

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अंतर्गत सहायता हेतु प्रार्थना पत्र।

उपस्थितः श्री राजकुमार, अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक की ओर से

आदेश

दिनांकः 14.12.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक शाखा मीना सीमला ने अप्रार्थी/ऋणीगण को 45,00,000/–(रूपये पैतालीस लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

प्रतिनिधि प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक शाखा मीना सीमला को सुना गया। हमने प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक शाखा मीना सीमला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक शाखा कार्यालय मीना सीमला को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002 की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई श्री गंगासहाय मीना की अचल संपत्ति खसरा नंबर 185/142/कुल 931 वर्गमीटर व्यावसायिक (दुकान) जमीन खेडा पहाडपुर तहसील सिकराय जिला दौसा पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जो कि थाना मेहन्दीपुर बालाजी के अंतर्गत है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक शाखा मीना सीमला को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 14 दिसंबर 2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर,दौसा